केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110066.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2017/93 दिनांक: 29.03.2017
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2017/00087
CICOM/R/2017/00142

अपीलकर्ता : श्री विजय कुमार सिंघला,
द्वारा- श्री हरबंस लाल सिंघला,
आर.वी.शांति नगर, स्ट्रीट नं. 3,
जिला – फरीदकोट, पंजाब – 151202.

निर्णय की तारीख : 29.03.2017

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	30.01.2017
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	10.02.2017
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री टी. के. मोहापात्रा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	16.03.2017
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	119392/23.03.2017
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	106/28.03.2017

1. अपीलकर्ता ने आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से द्वितीय अपील सं.CIC/SA/A/2016/000056 के अनुपालन से संबंधित सूचनाएं मांगी थी जिसके प्रतिउत्तर में श्री टी. के. मोहापात्रा, उप-पंजीयक व केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, सूचना आयुक्त (एम.पी.) कार्यालय द्वारा प्रदान की गई सूचना से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने प्रथम अपील दाखिल की है ।

2. संबंधित संचिका का अवलोकन किया गया तथा प्रथम अपील आवदेन में दिए गए मोबाइल नं. पर अपीलकर्ता से संपर्क करने पर अपीलकर्ता ने बताया कि उक्त संदर्भित द्वितीय अपील आदेश का प्रतिवादी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है, इसलिए उन्होंने आयोग में आर.टी.आई. आवेदन तथा प्रथम अपील दाखिल किया है । इस संदर्भ में अपीलकर्ता को बात-चीत के दौरान सूचित किया गया कि यदि प्रतियादी द्वारा आयोग के आदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है तो वे आयोग के समक्ष नॉन-कम्पलाइंस दाखिल कर सकते हैं । **अपीलकर्ता के दिनांक 30.01.2017 के आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ श्री टी.के. मोहापात्रा, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, सूचना आयुक्त (एम.पी.) कार्यालय द्वारा प्रदान की गई सूचना बिल्कुल सही है, तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है ।**

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आद्रेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है ।

राकेश

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

C.I.C. / के. सू. आ.
RECEIVED
30 MAR 2017
Initials:

C.I.C./के. सू. आ.
ISSUED
31 MAR 2017
D. No.
Initials